न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **147/2023** दायर दिनांक **20.07.2023**

वादीगण

1. गिरधारी राम पुत्र जयरामा राम
2. मुन्नी देवी पत्नी गिरधारी राम
3. संतोष पत्नी राजूराम
4. सरोज देवी पत्नी संजय थालोड़

समस्त जाति जाट निवासीगण बकवास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. देव किशन पुत्र मंगलाराम जाति साद
2. नेमीचन्द पुत्र मंगलाराम जाति साद
3. हरदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति साद निवासीगण सिंगरावट तह0 डीडवाना
4. एच.डी.एफ.सी बैंक शाखा सीकर
5. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री छोटूराम चौधरी वकील वादी।
2. श्री सुरेन्द्रपुरी वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2
3. श्री हरफुलराव वकील प्रतिवादी सं0 4

–:: अन्तिम निर्णय ::–

दिनाँक **23.09.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा बकवास पटवार हल्का खरेश के खसरा सं0 75 रकबा 0.1000 गै0मु0 बेरा, खसरा सं0 76 रकबा 6.4800 चाही 3 कुल खसरा 2 कुल रकबा 6.5800 हैक्टे0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक **05.02.2025** को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः रीडर/2025/388 दिनाँक 29.07.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः रीडर/2025/388 दिनाँक 29.07.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

–:: आदेश ::–

राजस्व ग्राम बकवास पटवार हल्का खरेश के खसरा सं0 75 रकबा 0.1000 गै0मु0 बेरा, खसरा सं0 76 रकबा 6.4800 चाही 3 कुल खसरा 2 कुल रकबा 6.58[illegible] हैक्टे0 भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी का बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः रीडर/2025/388 दिनाँक 29.07.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:26:30 IST
Reason: Self Attested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः रीडर/2025/388 दिनाँक 29.07.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 23.09.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:26:30 IST
Reason: SelfAttested